Appointment of members of the Central Wakf Council

2330. SHRI SHAMIM AHMED SIDDIQI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the terms of the members of the Central Wakf Council had expired some time back;

(b) if so, what are the reasons for delay in the appointment of new members of the council;

(c) whether the Union Minister can function as ex-officio Chairman of the Council in such eventualities; and

(d) if so, the provision of the law under which it is permissible?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under consideration of the Central Government.

(c) Yes, Sir.

(d) Sub-section (2) of Sec. 8A of the Wakf Act, 1954 provides that the Council shall consist of a Chairman, who shall be the Union Minister in charge of Wakfs, and such other members not exceeding 20 in number, as may be appointed by the Central Government. Hence the Chairman continues to function even if there are vacancies in the membership of the Council.

Import by provisional registered companies under insecticide act

2331. SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that provisional registered companies can import Insecticides, etc. for trial and data collections and there is a ceiling for import of materials to Rupees one thousand only;

(b) whether it is also a fact that provisional registration holders are importing such insecticides in unlimited quantities and selling the same at a profit of one thousand percent; and

(c) if so, what action Government have taken or propose to take against such persons/organisations?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) During provisional registration of insecticides, their import is governed by the conditions as may have been imposed by the Registration Committee, having due regard to efficacy of the insecticide and its safety to human beings in each case. There is no ceiling on import of materials of Rs. 1,000/-.

(b) In most of the cases, the Registration Committee, while granting provisional registration to an Insecticide, imposes a ceiling on the quantity to be imported. In certain cases, however, no such ceiling is put, for valid reasons, by the Registration Committee.

There is no control on or monitoring of the margins of profits of the importers. In the absence of specific instances it has not been possible to verify whether any importer has sold any product at 1000 per cent profit.

(c) Action can be considered only if specific instances are brought to the notice of the Government.

दिल्ली में घास के मैदान

2332. **श्री शरद यादव :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में कितनी सरकारी भूमि को घास के मैदानों के ग्रुप में उपयोग में लाया जा रहा है ;

(ख) उनमें जलपूर्ति, खाद, कटाई आदि के कार्य सहित उनके रख-रखाव पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है ; और

(ग) पानी की कितनी मात्रा का उपयोग केवल इन घास के मैदानों की सिंचाई के लिए किया जाता है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ग) विभिन्न केन्द्रीय सरकारी विभागों, दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली छावनी बोर्ड से प्राप्त सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है **(नीचे देखिये)** ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

अभिकरण	हरित भूमि का क्षेत्र एकड़ों में	इन क्षेत्रों की सिंचाई के लिये पानी की मात्रा
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	3012.38	लगभग 19 मिलियन गैलन प्रति-दिन ।
दिल्ली विकास प्राधिकरण	2000	पानी क्षेत्र के नलकूपों से लिया जाता है जिसका कोई माप नहीं है ।
दिल्ली नगर निगम	लगभग 1154.	577 मिलियन गैलन प्रतिवर्ष ।
नई दिल्ली नगर पालिका	700	सिंचाई के लिये पानी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सप्लाई किया जाता है ।
छावनी बोर्ड	लगभग 4.5	लगभग 40000 गैलन प्रति माह ।
दिल्ली प्रशासन	261	लगभग 105.24 मिलियन गैलन प्रति वर्ष ।
रेलवे विभाग	160	1.40 लाख किलोलीटर प्रतिवर्ष ।
डाकतार विभाग	लगभग 1	कोई मात्रा नहीं रखी गयी ।
रक्षा मंत्रालय	4.5	लगभग 40000 गैलन प्रति माह ।

खेतड़ी में तांबा प्रगलन संयंत्र

2333. **कुमारी सईदा खातून: इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान का खेतड़ी तांबा प्रबलन संयंत्र घाटे में चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर किन-किन राज्यों से तांबा लाया जा रहा है ; और

(ग) क्या उन स्थानों पर तांबा प्रगलन संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है जहां से तांबा खेतड़ी में मंगाया जा रहा है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम-दुलारी सिन्हा): (क) से (ग) खेतड़ी कापर काम्पलैक्स खान विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की खनन व धातुकर्म यूनिट है । इस यूनिट को वर्ष 1984-85 को छोड़कर